112

संख्या: /VIII/11-25(श्रम)/2011

प्रेषक,

किशन नाथ,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

श्रम आयुक्त,
उत्तराखण्ड, हल्द्वानी।

श्रम एवं सेवायोजन अनुभाग **देहरादूनः दिनाँकः२। अक्टूबर, 2011**

विषयः वित्तीय वर्ष 2011-12 के प्रथम अनुपूरक की माँगे स्वीकृत होने के फलस्वरूप अवचनबद्ध मदों में प्राविधानित धनराशि स्वीकृत किये जाने विषयक।

महोदय,

उपरोक्त विषयक वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः 584/XXVII(1)/2011 दिनाँकः 07 अक्टूबर, 2011 एवं पूर्व में निर्गत शासनादेश संख्याः 209/XXVII(1)/2011 दिनाँकः 31 मार्च, 2011 के क्रम में एवं वित्तीय वर्ष 2011-12 हेतु ब्यौरेवार अनुमान में प्राविधानित धनराशि के अतिरिक्त प्रथम अनुपूरक माँग एवं तत्संबंधी विनियोग अधिनियम, 2011 पारित होने के फलस्वरूप प्रथम अनुपूरक माँग की धनराशि को श्रम विभाग के अन्तर्गत अनुदान संख्या-16 की अवचनबद्ध मदों में संलग्न-विवरणानुसार **आयोजनेत्तर पक्ष में कुल रू0 27,25,000.00 (रू0 सत्ताईस लाख पच्चीस हजार मात्र)** की धनराशि की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये व्यय किए जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उक्त धनराशि इस प्रतिबन्ध के साथ एवं शर्तो के अधीन आपके निवर्तन पर रखी जा रही है, कि उक्त मद में आबंटित सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जाये। यहाँ यह भी स्पष्ट किया जाता है, कि धनराशि का आंबटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नही देता है, जिसे व्यय करने से बजट मैनुअल या वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों का उल्लंघन होता हो। जहॉ व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो, वहॉ ऐसा व्यय सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करके ही किया जायेगा। व्यय में मितव्ययिता नितान्त आवश्यक है, मितव्ययिता के सम्बन्ध में समय-समय पर जारी शासनादेशों/अन्य आदेशों का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जाये। व्यय उन्हीं मदों में किया जायेगा जिसके लिये यह स्वीकृत किया जा रहा है।

3- आयोजनेत्तर पक्ष की अन्य मदों के संबंध में वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः 209/XXVII(1)/2011 दिनाँकः 31 मार्च, 2011 में निहित प्राविधानों के अनुसार धनराशि का उपयोग किया जायेगा। वास्तविक रूप से आवश्यक धनराशि, जो भी कम हो, प्रशासकीय विभाग/बजट नियंत्रक अधिकारी द्वारा आहरण-वितरण अधिकारी के निवर्तन पर रखी जायेगी। इस संबंध में यह ध्यान दिया जायेगा। कि यदि किसी मुद्रण/लिपिकीय त्रुटि से किसी मद में माँग से अधिक धनराशि बजट प्राविधान प्रदर्शित हो रहा हो तो वहाँ वास्तविक आवश्यकता आधार पर ही उक्तानुसार कार्यवाही की जायेगी कि यदि किसी मुद्रण/लिपिकीय त्रुटि से किसी मद में माँग से अधिक धनराशि का बजट प्राविधान प्रदर्शित हो रहा तो वहाँ वास्तविक आवश्यकता आधार पर ही उक्तानुसार कार्यवाही की जायेगी,

-2-

परन्तु जिन मामलों में किसी मद प्राविधान रू0 1.00 करोड़ (रूपये एक करोड़ मात्र) से अधिक है तो उनकी स्वीकृतियाँ वित्त विभाग की सहमति से ही निर्गत की जायेंगी।

4– उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 के अनुदान संख्या–16 के मुख्य लेखाशीर्षक 2230–श्रम तथा रोजगार की सुसंगत मानक मदों के नामे डाला जायेगा। यह आवंटन श्रम आयुक्त, उत्तराखण्ड के अधीन समस्त कार्यालयों के लिए किया जा रहा है।

5– यदि किसी योजना/शीर्षक एवं मद में आय–व्ययक 2011–12 में बजट प्रावधान में प्राविधानित धनराशि से कम हो तो धनराशि आय–व्ययक प्रावधान की सीमा तक ही व्यय की जाएगी।

6– प्रायः यह देखा गया है कि धनराशि विभागाध्यक्ष के निर्वतन पर रखने के उपरान्त भी विभागाध्यक्ष द्वारा वह धनराशि आहरण वितरण अधिकारियों के निर्वतन पर नहीं रखी जाती है, जिससे क्षेत्रीय स्तर पर व्यय हेतु धनराशि उपलब्ध नहीं होती है। अतः वर्तमान में स्वीकृत की जा रही धनराशि आहरण–वितरण अधिकारी को तत्काल अवमुक्त कर दी जाए और फील्ड स्तर पर बजट उपलब्ध न होने की स्थिति उत्पन्न न हो। धनराशि का उपयोग दिनाँकः 31 मार्च, 2012 तक करते हुये प्रत्येक माह का बी0एम0–13 शासन में उपलब्ध कराया जाएगा।

7– उक्त आदेश वित्त विभाग के वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः 584/XXVII(1)/2011 दिनाँकः 07 अक्टूबर, 2011 एवं पूर्व में निर्गत शासनादेश संख्याः 209/XXVII(1)/2011 दिनाँकः 31 मार्च, 2011 में प्राप्त निर्देशों के क्रम में जारी किए जा रहे हैं।

संलग्न : यथोपरि।

भवदीय

(किशन नाथ)
अपर सचिव

पृष्ठांकन संख्याः 1333 **(1)/VIII/11–25(श्रम)/2011, तद्दिनांकित :**
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. विभागाध्यक्ष/पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय/औद्योगिक न्यायाधिकरण, हल्द्वानी।
3. वरिष्ठ कोषाधिकारी, समस्त जनपद, उत्तराखण्ड।
4. एनआईसी, सचिवालय।
5. नियोजन विभाग।
6. वित्त अनुभाग–5।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अहमद अली)
अनु सचिव

शासनादेश संख्याः 1333 (1)/VIII/11–25(श्रम)/2011, दिनाँकः 21 अक्टूबर, 2011 का संलग्नकः–

अनुदान संख्याः 16 धनराशि रूपये हजार में

(I) लेखाशीर्षकः 2230– श्रम तथा रोजगार,
01– श्रम,
101– औद्योगिक संबंध,
04– राज्य श्रम सलाहकार संविदा बोर्ड

क्र०स०	मानक मद संख्या का नाम	वर्ष 2011–12 में प्रथम अनुपूरक के माध्यम से प्राविधानित धनराशि	स्वीकृत की जा रही धनराशि
1	01–वेतन	50	50
2	06–अन्य भत्ते	50	50
3	42–अन्य व्यय	100	100
	योगः–	**200**	**200**

(II) लेखाशीर्षकः 2230– श्रम तथा रोजगार,
01– श्रम,
101– औद्योगिक संबंध,
05– औद्योगिक न्यायाधिकरण एवं श्रम न्यायालय का अधिष्ठान

क्र०स०	मानक मद संख्या का नाम	वर्ष 2011–12 में प्रथम अनुपूरक के माध्यम से प्राविधानित धनराशि	स्वीकृत की जा रही धनराशि
1	01–वेतन	1500	1500
2	03– महंगाई भत्ता	300	300
	योगः–	**1800**	**1800**

(III) लेखाशीर्षकः 2230– श्रम तथा रोजगार,
01– श्रम,
102– कार्य की परिस्थितियों तथा सुरक्षा,
03– निरीक्षण अधिष्ठान

क्र०स०	मानक मद संख्या का नाम	वर्ष 2011–12 में प्रथम अनुपूरक के माध्यम से प्राविधानित धनराशि	स्वीकृत की जा रही धनराशि
1	01–वेतन	300	300
2	03–महंगाई भत्ता	200	200
3	06–अन्य भत्ते	100	100
4	09–विद्युत व्यय	05	05
	योगः–	**605**	**605**

(IV) लेखाशीर्षक: 2230– श्रम तथा रोजगार,
01– श्रम,
103– सामान्य श्रम कल्याण,
03– श्रम कल्याण की विविध योजनायें/कल्याण केन्द्र,

क्र.स.	मानक मद संख्या का नाम	वर्ष 2011–12 में प्रथम अनुपूरक के माध्यम से प्राविधानित धनराशि	स्वीकृत की जा रही धनराशि
1	01–वेतन	100	100
2	09–विद्युत व्यय	20	20
	योगः–	**120**	**120**

{कुल योग रू. 27,25000.00 (रू. सत्ताईस लाख पच्चीस हजार मात्र)}

(अहमद अली)
अनु सचिव